न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

रेफरेंश आवेदन संख्या 09/2010

प्रार्थी **विप्रार्थीगण**

तहसीलदार पचपदरा **बनाम**

1. श्रीमती आनन्दी देवी बेवा सोहनराज जाति कुम्हार निवासी बालोतरा
2. शिव कुमार पुत्र सोहनराज जाति कुम्हार निवासी बालोतरा
3. अजीत कुमार पुत्र सोहनराज जाति कुम्हार निवासी बालोतरा
4. जितेन्द्र कुमार पुत्र सोहनराज जाति कुम्हार निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (राज.)

रेफरेंश आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.4.2006 बमुकदमा राजस्व वाद संख्या 26/2004 श्रीमती आनन्दी देवी वगैरा बनाम तहसीलदार पचपदरा द्वारा सहायक कलक्टर,(एसडीओ) बालोतरा

उपस्थित– 1. श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री जोगेन्द्र कुमार अधिवक्ता विप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक 22.05.2018**

1. संक्षेप में प्रार्थी के रेफरेंश आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बालोतरा के खसरा नंबर 713 रकबा 06 बीघा 02 विस्वा पुराना खसरा नंबर 370, 370/8 कुल 37 बीघा 01 बिस्वा थे, उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व पूनमा वल्द चेला जाति कुम्हार विप्रार्थी संख्या 01 के ससुर व विप्रार्थी संख्या संख्या 2 से 4 के दादा थे व अन्य लोगों का कब्जा काश्त था। रेकर्ड तैयार होने के समय पूनमा वल्द चेला व उसकी पत्नी सन्तोषी का नाम दर्ज हो गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
न्यायालय अपर कलक्टर
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तत्समय वादी के पति व पिता नौकरी में थे, जिससे पूनमा वल्द चेला व उसकी पत्नी सन्तोषी की फौतगी पर सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा सवंत् 2024 में तैयार किये गये खसरा में पुराना खसरा नंबर 370 का नया खसरा नंबर 713 रकबा 6 बीघा 02 बना कर रेकर्ड में सोहनराज पुत्र पूनमाराम को गैर खातेदार दर्ज किया। इस पर विप्रार्थीगण उक्त भूमि पर अपनी खुद काश्त होना बताते हुए एक राजस्व वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर,बालोतरा के न्यायालय में पेश किया। सहायक कलक्टर बाड़मेर ने राजस्व वाद संख्या 06/2004 दर्ज कर, वादी का वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.4.2006 द्वारा स्वीकार किया। प्रार्थी का यह कथन हैं कि उक्त खसरो की भूमि पर सेटलमेंट से पूर्व विप्रार्थी श्रीमती आनन्दी का कोई कब्जा काश्त नहीं था, जिसके कारण उसे खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। सहायक कलक्टर बाड़मेर ने राजस्व रेकर्ड एवं नियम विरूद्व तरीके से खसरा नंबर 713 रकबा 6 बीघा 02 विस्वा भूमि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.4.2006 द्वारा वादिगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है, जो विधि विरूद्व है। प्रार्थी ने धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह रेफरेंश आवेदन पत्र पेश कर राजस्व वाद संख्या 26/2004 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.4.2006 को निरस्त कर मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने निवेदन किया।

2. हमने रेफरेंश आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं वाद पत्रावली तलब की। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया, फलस्वरूप जवाब बन्द किया गया।

3. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक का तर्क हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के स्थापित सिद्वान्तो के विपरीत बिना राजस्व अभिलेखो का परिशीलन किये ही निर्णय एवं डिकी पारित की गई। वादी द्वारा खसरा नंबर 713 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा मौजा बालोतरा तहसील पचपदरा की खातेदारी हेतु वाद पेश किया गया। वादीगण ने ऐसा कोई अभिवचन नहीं किया जिससे यह साबित होता हैं कि वादीगण ही पूनमा वल्द चेला के एक मात्र वारिसान है एवं इनका कभी कब्जा काश्त भी रहा है। सहायक कलक्टर (एसडीओ) द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.4.2006 पारित किये जाने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 2724 के राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया एवं तुरन्त

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

प्रमाणित प्रतिलिपि
बाड़मेर
न्यायालय अपर कलक्टर
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

ही वादीगण विप्रार्थी श्रीमती आनन्दी के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का अन्य लोगो को बेचान कर दिया। वादग्रस्त भूमि नगर पालिका सीमा में स्थित होने से अधीनस्थ न्यायालय को नगर पालिका क्षेत्र में खातेदारी अधिकार देने का अधिकार नहीं था। सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री तारीख 17.4.2006 विधि के स्थापित सिद्वान्तो व राजस्व रिकार्ड के विपरीत होने से अपास्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को प्रेषित करने का निवेदन किया।

4. विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान् तर्क किया कि मौजा बालोतरा के खसरा नंबर 713 रकबा 6 बीघा 02 विस्वा श्रीमती आनन्दी देवी के ससुर के नाम भूमि दर्ज थी, परन्तु उनके एवं उनके पुत्र सोहनराज के वायुसेना में कार्यरत होने के कारण उनके नाम खातेदारी दर्ज नहीं की गई थी। विवादग्रस्त भूमि नगर पालिका क्षैत्र में है। नगर पालिका क्षैत्र में खातेदारी अधिकार देने के संबंध में नगर पालिका बालोतरा द्वारा एनओसी जारी की गई है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि पर विप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त रहा है। सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2004 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.4.2006 में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि साबित नहीं कर पाये जाने के कारण प्रार्थी द्वारा पेश रेफरेंश आवेदन पत्र खारिज किया जायें।

5. हमने दोनों पंक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने यह रेफरेंश आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर मौजा बालोतरा के खसरा नंबर 713 रकबा 6 बीघा 02 विस्वा भूमि को विप्रार्थीगण की खातेदारी से निरस्त कर बिला कब्जा गैरमुमकिन दर्ज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने हेतु पेश किया है। जमाबंदी (खतौनी) संवत् 2034 से 2037 के अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि मौजा बालोतरा में अवस्थित भूमि खसरा नंबर 713 रकबा 6.02 बीघा किस्म बा. सो. सोहनराज वल्द पूनाराम कौम कुम्हार सा. देह के नाम सेटलमेंट के समय गैर खातेदार दर्ज थी। प्रतिवादी तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुज जवाब एवं विशेष आपत्तियो में बालोतरा शहरी क्षैत्र होने व पेराफेरी एरिया घोषित होने से वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार दिया जाना नियम विरूद्व बताया है। इसीप्रकार हल्का पटवारी बालोतरा की फर्द मौका जांच दिनांक 11.6.2010 के अनुसार सम्पूर्ण खसरे में रहवासी मकान/प्लॉटस इत्यादि का निर्माण किया गया है तथ आंशिक प्लॉटस का हिस्सा छोड़कर शेष खसरा में रास्ता पर आबादी बसी हुई है। खसरा का

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
न्यायालय अपर कलक्टर
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

हिस्सा खाली नहीं है तथा ना ही इस ,खसरे में कृषि कार्य किया जाता है। विप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा की भूमि का बेचान कर दिया गया है। अतः वादग्रस्त भूमि नगर पालिका सीमा में स्थित होने एवं सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा को नगर पालिका क्षैत्र में खातेदारी अधिकार देने का क्षैत्राधिकार नहीं होने से सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.4.2006 एवं इसके फलस्वरूप पारित नामान्तरकरण एवं किया गया बेचान गलत होने से निरस्त योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2004 आनन्दी देवी वगैरा बनाम तहसीलदार पचपदरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.4.2006 को निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाता है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक **22.05.2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
न्यायालय अपर कलक्टर
बाड़मेर